सीपीसी में वर्णित प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति साक्ष्य के लिये सम्मन किये बिना दस्तावेज पेश करने के लिये सम्मन किया जा सकता है तथा यदि वह व्यक्ति दस्तावेज पेश करवा देता है तो यह समझा जायेगा कि उसने सम्मन का अनुपालन कर दिया है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीया / वादी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उक्त पण्डित मुरलीधर जी पाराशर के पास मूल बही मौजूद है तथा उक्त बही की प्रविष्टि से पोकरराम की मृत्यु का तथ्य साबित हो सकेगा। इस हेतु पण्डित मुरलीधर जी पाराशर पुत्र वंशीधर जी पाराशर को मूल बही के साथ गवाह के रूप में तलब किया जावे। न्यायालय का यह विनम्र मत है कि प्रकरण की वास्तविक रूप से सही न्याय निर्णयन के लिये उक्त बही सुसंगत है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों में अधिवक्ता प्रार्थी / वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित गवाह पण्डित मुरली जी पाराशर पुत्र श्री बंशीधर जी पाराशर निवासी कुम्हारों का मोहल्ला बड़ी बस्ती, पुष्कर जिला अजमेर मय बही / दस्तावेज तलब किये जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही यह भी आदेशित किया जाता है कि उक्त गवाह को गवाह खर्च के रूप में 4,000 / – रूपये प्रार्थी / वादी द्वारा अदा किये जायेंगे। पत्रावली वास्ते तलबी / साक्ष्य ~~प्रति~~वादी हेतु दिनांक 10.9.25 को पेश हों।

26.8.25

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02,
नागौर।

अपर जिला न्यायाधीश
संख्या-2, नागौर (राज०)

10-9-25 अधिवक्तागण उपस्थित। वादी ने गवाह उपस्थित नहीं [illegible] गवाह को तलबाना पेश होने पर तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दि. 17.9.25 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
संख्या 2 नागौर [illegible]